(राज्य योजना)

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
संo– 4/निदेo छात्रावास(नि0/म0)–05–22/2014

129

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 27.03.17

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना के अन्तर्गत जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–1341 दिनांक–21.10.2016 के द्वारा मुंगेर जिला में अवस्थित राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास का जीर्णोद्धार (प्लास्टर, रंग–रोगन, शौचालय जीर्णोद्धार, सबमरसेबुल बोरिंग एवं विद्युतीकरण, इत्यादि) कार्य हेतु सक्षम प्राधिकार से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल ₹41,97,900/-(एकतालीस लाख सन्तानवें हजार नौ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :–स्वीकृत।

2– इस योजना के लिए भवन निर्माण विभाग के निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से व्यय किया जायेगा:–

राज्य योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति के भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03–मुख्य बजट शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–01–कार्यालय भवन–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना–उपशीर्ष–0101– अनुसचित जाति के भवन– विषय शीर्ष–53 01 मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–पी4059017890101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

4– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होगें।

5– निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण करा लिया जायेगा।

6– इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

7 – इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

8 – इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

9 – कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

24.3.17
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 4/निदे0 छात्रावास(नि0/म0)–05–22/2014 129 पटना, दिनाक– 27.03.17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, निगरानी विभाग/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/निदेशक(अनुश्रवण) भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकरी, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

24.3.17

सरकार के सचिव।